भारत में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

प्रो. (डॉ.) सी. बी. भांगे
डॉ. नियाज़ अहमद अन्सारी
श्रीमती ममता जांगिड
डॉ. आर. एस. भाकुनी

भारती पब्लिकेशन्स
नई दिल्ली

सर्वाधिकार सुरक्षितः संपादक

पुस्तक शीर्षकः भारत में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

संपादक : प्रो. (डॉ.) सी. बी. भांगे, डॉ. नियाज़ अहमद अन्सारी
श्रीमती ममता जांगिड एवं डॉ. आर. एस. भाकुनी

प्रथम संस्करणः २०२१

ISBN:

प्रकाशकः

भारती पब्लिकेशन्स

४८१६/२४, तीसरी मंजिल, अंसारी रोड
दरियागंज, नई दिल्ली-११०००२
फोन नं.: ०११-२३२४७५३७, ९८९९८९७३८१
ई-मेलः bhartipublications@gmail.com
Website : www.bhartipublications.com
मुद्रक : सागर कलर स्केन, दिल्ली

पुस्तक में दी गई विषय वस्तु पूर्ण रूप से लेखक के अपने विचार हैं। संपादक एवं प्रकाशक किसी भी विषय वस्तु के लिए जिम्मेदार नही हैं। इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा किसी के द्वारा पुनरुत्पादित या प्रेषित बिना अनुमति के नहीं किया सकता है। इस प्रकाशन के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत कार्य या नुकसान के लिए आपराधिक अभियोजन के लिए वह व्यक्ति उत्तरदायी होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा से ही कृषि के लिए पहचानी जाती रही है हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उस समय भी भारत में कृषि की प्रधानता थी।और हम उस समय भी उन्नत किस्म की खेती किया करते थे।और बहुत से कृषि उत्पादो का विदेशों में निर्यात किया जाता था।जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था अधिक उन्नत और समृद्ध होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत से लेकर आज तक भारत कृषि प्रधान देशों की श्रेणी में अपनी पहचान बनाए हुए हैं।एक समय था जब भारत में परंपरागत खेती की जाती थी। लेकिन आजादी के बाद से हम लोगों ने कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना शुरू किया तो आज के समय में हम कृषि उत्पाद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होने की स्थिति में आ गये है।और अधिकांश फसलों के मामले में हम विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं।भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कृषि पर ध्यान देना

शुरू किया लेकिन हमें आशातीत सफलता नहीं मिल सकी। इसलिए हम ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया। उसके विकास के लिए अनेक कार्यक्रम बनाएं।

लेकिन इसके साथ ही साथ कृषि की संभावनाओं की तलाश भी जारी रही भारत में कृषि की संभावनाओं के लिए अमेरिका की "फोर्ड फाउंडेशन" की टीम १९५८ में भारत में आई और उसने पूरे भारत का सर्वे किया और कृषि की संभावनाओं को नजदीकी से देखा, और अपनी रिपोर्ट में उत्तर भारत के विशाल मैदान मैं कृषि की अपार संभावनाओं को उजागर किया। आज यही कारण है कि भारत में हरित क्रांति की सफलता इन्हीं क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। इसके साथ ही आज पंजाब,उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश,हरियाणा,राजस्थान का कुछ भाग और दक्षिण के कई राज्यों के अधिकांश क्षेत्र हरित क्रांति की वजह से कृषि उत्पादन बढ़ाने में अवश्य सफल हुए हैं।

आज भारत मैं देखें तो ८५ प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी अधिकांश आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर करता हैं। आज कृषि में महिलाओं का योगदान ६५ से ७० प्रतिशत है। भारत के ४८ प्रतिशत कृषि से संबंधित रोजगारों में महिलाएं ही कार्यरत हैं,इसके साथ ही लगभग ७.५ करोड़ महिलाएं दुग्ध उत्पादन तथा पशुधन व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में अपनी सार्थक भूमिका निभाती हैं। १५ अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्रामीण महिलाओं के योगदान को ध्यान मै रखते हुये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने की पहल की हैं।

वर्ष २०१६ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि के प्रत्येक स्तर जैसें-बुवाई,रोपण, जल निकासी, सिंचाई, उर्वरक, पौध संरक्षण, कटाई, खरपतवार हटाने, और भंडारण तक के कार्यों में महिलाये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।उनकी भूमिका के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये इस दिन को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। यह महिलाओं की कृ षि क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को बताने के साथ साथ महिलाओ को सम्मान दिलाता

है। आज महिलाएं कृषि क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है और अपना फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। इससे कृषि उत्पादन में आशातीत सफलता मिल रही है।

वास्तविकत स्थिति - कृषि मंत्रालय ने इस वर्ष खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन में महिला किसानों को आने वाली अनेक समस्याओं पर विचार किया है और उन समस्याओं के निराकरण हेतु एक प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। जिससे महिलाओ के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर किया जा सके। प्रस्ताव से महिला किसानों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है।उनके लिए क्रेडिट सुबिधा,कौशल विकास,उधमिता के अवसर अधिक से अधिक मिलने की आशा की जाने लगी हैं। अह्क्सफैम इंडिया के अनुसार, भारत में खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में ६० से ८० प्रतिशत तक तथा डेयरी उत्पादन में लगभग ६० प्रतिशत महिलाएँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

भारत में चाहे कृषि की बात हो या पशुधन प्रबंधन हो या घर पर काम करने की बात हो,दूसरों के घरों में साफ-सफाई की बात हो, बर्तन साफ करने करने,दूसरो के बच्चों की देखभाल करने के साथ ही महिला किसानों द्वारा किये जाने वाले कामो पर न कभी समाज का ध्यान जाता है न हमारी सरकारों का। सरकार द्वारा इन महिलाओं को समय समय पर मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन और ग्रामीण हस्तशिल्प में प्रशिक्षण देने के प्रयास किये हैं लेकिन ये प्रयास महिला की संख्या के सामने बहुत ही मामूली प्रतीत होते हैं। जिससे इन कार्यक्रमों का महिलाओ को खाश लाभ नहीं हो पा रहा है। कृषि में महिलाओं की रुचि को बनाए रखने और उनके उत्थान के लिये एक ऐसी दूरदर्शिता की आवश्यकता है जो उचित नीति और कार्यवाही वाली कार्य-योजनाओं द्वारा समर्थित हो।

राज्यवार महिलाओं की भागीदारी,

राज्यकृषि एवं	**गैर कृषि कार्य (प्रतिशत में)**	
हिमाचल प्रदेश	८२.४७	१७.५३

मध्य प्रदेश		७६.४५	२०.५५
मणिपुर	५५.५९	४४.४१	
नागालैंड	८२.६६	१७.३४	
आंध्र प्रदेश	७३.४४	२६.५६	
राजस्थान	८१.०७	१८.९३	
कर्नाटक	६१.११	३८.८९	
तमिलनाडु	५९.३०	४०.७०	
महाराष्ट्र	७४.५३	२५.४७	
गुजरात	५७.१२	४२.८८	
उड़ीसा	६०.४७	३९.५३	
त्रिपुरा	५२.७८	४७.२२	
आसाम	४२.४७	५७.५३	
पंजाब	२४.५१	७५.४९	
बिहार	८३.५६	१६.४४	
पश्चिम बंगाल	३२.६२	६७.३८	
उत्तरप्रदेश	६५.८७	३४.१३	
केरल	२१.२७	७८.७३	

स्रोतः- NCEUS

में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिक (प्रतिशत में)

राज्यपुरुष	महिला	व्यक्ति		
आंध्र प्रदेश	९२.५	९६.१	९४.०	
अरुणाचल प्रदेश		८३.९	९४.४	८८.९
असम	८९.८	९१.४	९०.२	
बिहार	९७.९	९६.२	९७.५	
गोवा ७१.९	७५.०	७२.८		
गुजरात	८८.६	९७.६	९१.६	
हरियाणा	८७.४	९६.६	९०.२	
हिमाचल प्रदेश	८५.५	९५.८	९०.२	

कर्नाटका	८५.७	९६.३	८८.५	
केरल	९०.०	९५.३	९१.९	
मध्य प्रदेश	८२.०	७९.६	८१.३	
महाराष्ट्र	९३.१	९८.२	९४.८	
मणिपुर	८६.६	९५.०	८९.६	
मेघालय	८४.८	९५.५	८८.८	
मिजोरम	८८.४	९१.१	८९.६	
नागालैंड	८१.०	९२.९	८३.९	
उड़ीसा	७९.०	९४.७	८३.९	
पंजाब	९२.९	९७.७	८३.९	
राजस्थान	८९.५	९४.३	९०.९	
सिक्किम	९३.०	९८.५	९५.२	
तमिल नाडु	८२.२	९०.५	८४.८	
त्रिपुरा	८७.२	९४.३	८९.९	
उत्तर प्रदेश	८९.५	८८.५	८९.४	
पश्चिम बंगाल		९४.६	९८.८	९५.८
दिल्ली	९०.५	९३.८	९१.२	
छत्तीसगढ़	९४.६	९८.८	९५.८	
उत्तरांचल	९२.७	९८.६	९५.२	
भारत	९०.७	९५.९	९२.०	

स्रोतः- NCEUS

स दर में महिला एवं पुरुषों का योगदान

ग्रामीण

	१९८६-१९९५	१९९५-२००५	२००५-२०१५
पुरुष	१.९३	०.८०	२.२०
महिला	१.३७	०.०३	३.६१
व्यक्ति	१.७३	०.५१	२.७१

शहरी			
पुरुष३.२३	२.८६	३.२८	
महिला	३.७८	१.५०	५.४१
व्यक्ति	३.३४	२.५८	३.७१
कुल			
पुरुष२.५२	१.३५	२.५१	
महिला	१.६७	०.१६	३.६०
व्यक्ति	२.०६	०.६८	२.६५

स्रोतः-NSSO रिपोर्ट रोजगार एवं बेरोजगार परिवारों का सर्वे

भारतीय कृषि जनगणना २०१०-११ के अनुसार ११८.७ मिलियन किसानों में से ३०.३þ महिलाएँ किसान रही हैं इसी प्रकार १४४.३ मिलियन कृषि श्रमिकों में से ४२.६þ महिलाएँ श्रमिक रही हैं। संपत्ति के स्वामित्व के मामले में नवीनतम कृषि जनगणना २०१५-१६ के अनुसार कुल १४६ मिलियन संपत्ति में महिलाओं का हिस्सा केवल १३.८७þ (२०.२५ मिलियन) है। जो बहुत कम है।जिसमें पाँच वर्षों में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि ही दर्ज की गयी है।

जबकि देखने मै आ रहा है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। सरकार को महिला किसानों और मज़दूरों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक प्रभावी रणनीति तैयार कर उसको ठीक से लागू करने की जरुरत है।

महिला किसानों का कम महत्व- पुरुष किसानों की तुलना में महिलाओ के लंबे समय तक अधिक काम करना। अधिकांश समय अवैतनिक कार्य करने के बावजूद महिला किसान न तो उत्पादन पर अपना कोई दावा कर पाती हैं और न ही मज़दूरी की माँग कर पा रही हैं। खेती के काम के अलावा वे घर-पारिवारिक की जिम्मेदारियाँ भी निभाती हैं। कम मजदूरी, काम का अधिक बोझ उनके जीवन को हाशिये पर ले जाता हैं। इस कारण से महिलाए अपना ठीक से विकाश नही कर पा रही है।

भारत में अभी तक महिला किसानों को समाज में किसान के रुप में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो पा रहा है। और किसान संगठनों मै भी इनको उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नही हो पाया है।और समयदृसमय पर किये जाने वाले आंदोलनों, धरनों, प्रदर्शनों में भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता हैं। वे ऐसी अदृश्य श्रमशक्ति बन कर रह गयी हैं। जिनके योगदान के बिना कृषि क्षेत्र का वृद्धि करना बहुत मुश्किल है।

भारत में महिला किसानों की समस्याएँः-

भू-स्वामित्त्व- भारत में महिला किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस भूमि पर वे खेती करती हैं, उस पर उनका कोई स्वामित्व प्राप्त नही है। ओर हद तब हो जाती है जब वे दावा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाती हैं। लगभग ८६þ महिला किसान इस संपत्ति से शायद इसलिये वेदखल हैं क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मनता है। भूमि पर स्वामित्व की कमी के कारण महिला किसानों को संस्थागत ऋण बैंकों से नही मिल पाता है इसलिये वे बैंक से संपर्क भी नही करते हैं। क्योंकि बैंक आमतौर पर ज़मीन के आधार पर ही ऋण स्वीकृत करते हैं। इन महिलाओं की पहुँच सुरक्षित भूमि, औपचारिक ऋण और बाज़ार तक हो जाये तो,वे फसल-सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और घरेलू खाद्य सुरक्षा तथा पोषण में सुधार करने के लिये अधिक निवेश कर पाती हैं। ओर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाती हैं।

भूमि अधिग्रहण-पिछले कुछ वर्षों से भूमि अधिग्रहण दोगुना हो गया है जिसके परिणामस्वरूप खेतों का औसत आकार घटता जा रहा है। इसलिये, अधिकांश किसान छोटे और सीमांत, इसमें एक श्रेणी वह जो निर्विवाद रूप से महिला किसानों को शामिल करती है। इनके पास .५ से २ हेक्टेयर से कम भूमि होती है।

अनुकूल मशीनरी- महिला किसान और मज़दूर आमतौर पर श्रम-केंद्रित कार्य जैसे कुदाल या फावड़े की मदद से गड्ढा खोदना, घास काटना, खरपतवार हटाना, कटाई करना, बेंत का संग्रह, पशुधन की देखभाल यादि कार्य करती हैं। यादि इनको विभिन्न कृषि कार्यों के लिये महिला-अनुकूल उपकरण और मशीनरी देदी जाय तो महत्त्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। अधिकाँश कृषि मशीन ऐसी

होती हैं जिनका संचालन करना महिलाओं के लिये कुछ मुश्किल हो सकता है। इस समस्या के बेहतर समाधान के लिये महिलाओ को प्रशिक्षित करने के लिये निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

संसाधनों तक पहुँच- महिलाओ की असली समस्या यह है कि कृषि को अधिक उत्पादकीय बनाने के लिये संसाधनों और आधुनिक उपकरणों जैसे- बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई यादि तक महिला किसानों की पहुँच आमतौर पर पुरुषों की तुलना में कम देखने को मिलती है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, महिला और पुरुष किसानों के लिये उत्पादक संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो जाने से विकासशील देशों के कृषि उत्पादन में २.५þ से ४þ की वृद्धि हो सकती है।

समाधान- कृषि और ग्रामीण विकास के लिये देश की राष्ट्रीय बैंक के द्वारा महिलाओ को माइक्रो-फाइनेंस नीति के तहत बिना प्रत्याभूति के ही ऋण देने का प्रावधान करना चाहिए। इसके लिये उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता तक महिलाओं की पहुँच को बड़ाना। उनके अन्दर आत्मविश्वास को बड़ाना। जिससे उन्हें किसानों के रूप में मान्यता प्राप्त करने में मदद मिल सके।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सामूहिक खेती की संभावना को प्रोत्साहित करना। कुछ स्वयं-सहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों जैसे राजस्थान में सरस और गुजरात में अमूल द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण तथा कौशल प्रदान किया गया है। जिससे महिलायें अधिक आत्मनिर्भर हुयी है। इन संस्थाओ को महिलाओ के सहयोग से और अधिक विकसित किया जा सकता है। इसके साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी सरकारी प्रमुख योजनाओं में महिला केंद्रित नीतियों और व्यय को शामिल करना होगा।

महिला किसानों को सब्सिडी वाली सेवाएँ अधिक उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कृषि केंद्रों को प्रोत्साहन किया जाना होंगा। प्रत्येक ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्रों की सेवाओं का अधिक विस्तार के साथ-साथ

अभिनव प्रौद्योगिकी के बारे में महिला किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का कार्य युद्ध स्तर पर करना होगा।

निष्कर्ष– अब महिलाएँ कृषि के क्षेत्र में अधिक भागेदारी कर रही हैं तो हम सब को इस कार्य में उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिये आगे आना होगा।

उनको भूमि संपत्ति के अधिकारों को सौंपकर उनकों मालिकाना हक देना होगा। सरकार यदि एक बार इनको को प्राथमिक अर्जक और भूमि परिसंपत्तियों के मालिक के रूप में सूचीबद्ध कर दे तो उनके लिये बैंकों से ऋण लेना आसान हो जाएगा। साथ ही वे अपने समक्ष आने वाली बहुत सी समस्याओं का निराकरण स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगी और विपणन की सभी समस्याओं से भी ठीक से सामना करने में अपने आप को सक्षम समझने लगेंगी। और भी अपने आप को वास्तविक किसान महसूस करने लगेंगी और उनको लगने लगेगा कि हम भी देश की अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान कर रहे हैं उनको भी अपने आप पर फक्र होने लगेगा तो मैं यही आशा करता हूं कि आने वाला समय महिलाओं के लिए अधिक सुनहरा एवं शांति पूर्ण होगा। वे अपना जीवन भी बेहतर कर पाएंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. खुराना और चौहान –भारतीय इतिहास में महिलाएं आईएसबीएन ६७८८१ ८६७७० ८४६

२. कुमार गौरव –कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता ।

३. डे सीमा, श्रीवास्तव निलमा एवं झा वी के– कृषि में महिलाओं की भूमिका समस्या एवं निदान प्रसार शिक्षा निदेशालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची जनवरी दिसंबर २००६।

४. कुमारी पूनम– भारतीय कृषि में अभिनव सुधारों से ही रुकेगी किसानों की आत्महत्या सामाजिक विज्ञान संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।

५. कृषि में महिलाओं का योगदान देश के प्रतिष्ठित अखबार ५ जनवरी २०२१ में प्रकाशित लेख।

६. Bhattacharya Rabindranath& Economics% An Indian Perspective-

७. Dutt Romesh& The Economic History of India-

८. Roy Tirthankar& Economic History of India 1857&1947